

# राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अति.प्रशा.अधि./पदो./2019/1072

दिनांक:- 16/7/19

## कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.05.2019 की अभिशंषा पर आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/अति.प्रशा.अधि./पदो./2019/675 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा निम्नांकित राजसेवकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत राजसेवकों को नवपदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है :-

| क्र.स. | पदोन्नत कार्मिक का नाम    | पदोन्नति से पूर्व पदस्थापन          | नवीन पदस्थापन                       |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                   | 4                                   |
| 1.     | श्री सुरेश चन्द खण्डेलवाल | मुख्य संपदा प्रबन्धक, प्रकोष्ठ, मु0 | कार्मिक प्रकोष्ठ, मु0               |
| 2.     | श्री तुलसा राम पालीवाल    | वृत्त-प्रथम, जोधपुर                 | वृत्त-प्रथम, जोधपुर                 |
| 3.     | श्री पान सिंह रावत        | वृत्त-तृतीय, जयपुर                  | वृत्त-तृतीय, जयपुर                  |
| 4.     | श्री राजेन्द्र सिंह आंचला | वृत्त-बीकानेर                       | खण्ड-हनुमानगढ                       |
| 5.     | श्री इन्द्र सिंह          | मुख्य संपदा प्रबन्धक, प्रकोष्ठ, मु0 | वृत्त-प्रथम, जयपुर                  |
| 6.     | श्री बनवारी लाल राठौड     | वृत्त-द्वितीय, जयपुर                | वृत्त-प्रथम, जयपुर                  |
| 7.     | श्री रमेश चन्द जाटावत     | आर.टी.आई. अभिलेख प्रकोष्ठ, मु0      | मुख्य संपदा प्रबन्धक, प्रकोष्ठ, मु0 |
| 8.     | श्री बृज मोहन स्वामी      | खण्ड-नागौर                          | वृत्त-बीकानेर                       |
| 9.     | श्री भरत लाल शर्मा        | वृत्त-अलवर                          | वृत्त-अलवर                          |
| 10.    | श्री कंचन लाल बैरवा       | खण्ड-दौसा                           | खण्ड-भरतपुर                         |
| 11.    | श्री मूल चन्द मीणा        | वृत्त-प्रथम, जयपुर                  | खण्ड-बारा                           |

उक्त पदोन्नत पद पर सम्बन्धित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो मानी जाएगी। पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजीव जैन)  
सचिव

### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ...../उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय ..... राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री .....
10. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक